Letter No. 666 /81-4-2024

From,

Ravi Shankar Mishra,
Joint Secretary,
Government of Uttar Pradesh.

To,

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
Copernicus Marg, New Delhi.

Environment, Forest and Climate Change, Section-4 **Lucknow : Dated : 23 April, 2024**

Subject: Action Taken Report in Compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 16.02.2024 in OA No. 529/2023 Dr. Sharad Gupta Vs. Union of India.

Sir,

In compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 16.02.2024 in OA No. 529/2024 Dr. Sharad Gupta Vs. Union of India, the Action Taken Report on behalf of Additional Chief Secretary, Department of Environment, Forest & Climate Change, Government of Uttar Pradesh is being filed and annexed herewith.

It is requested that the said report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours Sincerely,

(**Ravi Shankar Mishra**)
Joint Secretary.

Copy to: Shri Bhanwar Pal Singh Jadon, Standing Counsel, State of Uttar Pradesh, Hon'ble NGT, New Delhi for information and further necessary action.

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH

NEW DELHI

Original Application No. 529 of 2023

Dr. Sharad Gupta Vs. Union of India

FURTHER ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF THE ADDITIONAL CHIEF SECRETARY (ACS), ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 16.02.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

Main points of the Affidavit:

1- In the present case the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to pass the following order vide its order 16.02.2024 deposed here in under;

"9. Let further action taken report be filed by ACS, Environment, Forest and Climate Change, UP. disclosing further steps which have been taken in pursuance to the timeline disclosed in the affidavit dated 28-11-2023, at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

2- It is submitted that in compliance to the order passed by Hon'ble NGT in OA no. 529/2023 dated 06.11.2023, ACS, Environment, Forest and Climate Change, UP, filed affidavit of proposed timeline on 01.12.2023. The disclosed timeline and action taken in compliance to it are as follows :

(A) 403.09 hectares

S. No.	Date	Description
1.	By 15.11.2023	Formation of a District Level Committee for survey by the District Magistrate.
2.	By 31.12.2023	Completion and dispatch of report by the District Level Committee to the District Magistrate
3.	By 31.01.2024	After detailed examination of the report of the District Level Committee, dispatch of the proposal by the District Magistrate.
4.	By 29.02.2024	Preparation and dispatch of the proposal from the level of Deputy Conservator of Forest .
5.	By 15.03.2024	Review and dispatch of the proposal from the Headquarter, Forest, Uttar Pradesh, Lucknow.
6.	Till 30.06.2024	Final notification of Section-26A(1)(a) of Wildlife (Protection)Act 1972 by the Government .

Action Taken: All actions, as per the timeline, are complete till point no. 5. The proposal for final notification of the Sanctuary under Section-26A(1)(a) of Wildlife (Protection) Act, 1972 has been received by the Department of Environment, Forest & Climate Change, Government of Uttar Pradesh on 06.03.2024. The process for final notification by the Govt. of U.P. has already been initiated as per the timeline. The approval of competent authority in the Government for issuance of final

notification has been obtained and currently the draft of the final notification is being vetted by Vidhayee and the Bhasha Vibhags. The Government is fully prepared to issue the final notification well before the timeline of 30.06.2024 after following the due process in view of the Model Code of Conduct of Lok Sabha general elections.

(B) 15.415 hectares

S. No.	Date	Description
1.	By 15.11.2023	Formation of a District Level Committee for survey by the District Magistrate.
2.	By 31.12.2023	Dispatch of report by the District Level Committee to the District Magistrate.
3.	By 31.01.2024	After detailed examination of the report of the District Level Committee, dispatch of the proposal by the District Magistrate.
4.	By 15.02.2024	Dispatch of the proposal of section 18 of Wildlife(Protection) Act 1972 from the level of Deputy Conservator of Forest.
5.	By 29.02.2024	Review of the proposal at Headquarter, Forest, Uttar Pradesh, Lucknow.
6.	By 15.06.2024	Final notification of Section 18 of Wildlife(Protection) Act 1972 by the Government level.
7.	Thereafter	Settlement proceeding under Section 19 to 25 of Wildlife (Protection) Act 1972 will be done by the Collector which involve legal processes.

Action Taken: All actions, as per the timeline, are complete till point no. 5. The proposal for notification under the provisions of Section-18 of Wildlife (Protection) Act, 1972 has been received in the Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh on 15.04.2024. The process for final notification has been initiated by the Government.

(C) 380.558 hectares

S. No.	Date	Description
1.	By 30.11.2023	The proposal prepared, in consonance with Section-26A(1)(b) and Section 66(4), will be dispatched from the level of Deputy Conservator of Forest.
2.	By 31.12.2023	Review of the proposal at Headquarter, Forest, Uttar Pradesh, Lucknow.
3.	By 31.03.2024	Government notification will notify it as a Sanctuary.

Action Taken:

i. All actions, as per the timeline, are complete till point no. 2.

ii. The Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh has received the proposal for notification of the Sanctuary under the provisions of 26(A)(1)(b) of Wildlife (Protection) Act, 1972 on 29-12-2023.

iii. After receipt of the proposal, a meeting has been organised to review the progress regarding the declaration of the sanctuary with respect to the additional area 380.558 + 15.415 hectares on 04-03-2024. That it was decided in this meeting that the views of the concerned departments in light of the eco-sensitive zone of the proposed additional area as sanctuary should be obtained. The District Magistrate, Agra,through his representative present in the

meeting, has been directedto consult with the concerned departments regarding the declaration of this new area of 380.558 ha. of Surdas Forest Block and 15.415 ha. of Government land as sanctuary and its eco-sensitive zone. It was also decided in this meeting that after receiving the views of the concerned departments about the declaration of additional area of 380.558 ha. of Surdas Forest Block and 15.415 ha. of Government land as sanctuary, the proposal for declaration of sanctuary will be presented before the State Board for Wildlife constituted under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 for consideration. The minutes of meeting dated 04-03-2024 is enclosed as **Annexure No. 1**.

iv. That the area of 380.55 ha. of Surdas Forest Block has legal status of reserved forest in which provisions of Indian Forest Act, 1927 are strictly complied with for its conservation and protection.

v. The the report of the District Magistrate, Agra is yet to be received by Department of Environment, Forest and Climate Change (DoEF&CC). The DoEF&CC has sent a reminder to District Magistrate vide letters dated 28-03-2024 and 19-04-2024.The copy of the letters of DoEF&CC dated 28-03-2024 and 19-04-2024 are enclosed as **Annexure No. 2 & 3**.

3- That owing to Lok Sabha Elections and the Model Code of Conduct, the process of declaration of sanctuary will take some more time as the administrative machinery at the district level is engaged in the elections. Therefore, relaxation of timeline to 15-06-2024 is humbly requested.

The above facts and further action taken report are being placed for kind consideration of the Hon'ble Tribunal.

Yours Sincerely,

(**Manoj Singh**)
Additional Chief Secretary
Environment, Forest & Climate Change Department,
Govt. of Uttar Pradesh

File No.81-4099/86/2020-04-,

मा० एन०जी०टी० में योजित वाद ओ०ए० सं० 529/2023 में दाखिल शपथ पत्र दिनांक 28.11.2023 में विहित टाइमलाइन का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में वन मुख्यालय, लखनऊ स्थित 'पारिजात सभाकक्ष' में दिनांक 04.03.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उक्त बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारियो द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री सुधीर कुमार शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
2. श्री संजय श्रीवास्ताव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।
3. श्री सुनील चौधरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोजेक्ट टाईगर, उ0प्र0, लखनऊ।
4. श्री आशीष तिवारी, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री एन0 रविन्द्र, मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी, उ0प्र0।
6. श्री नीरज कुमार, मुख्य वन संरक्षक, ईको, उ0प्र0।
7. श्री अबू अरशद खान, उप वन्यजीव प्रतिपालक, उ0प्र0।
8. सुश्री आरूषी मिश्रा, उप मुख्य वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा, उ0प्र0।
9. श्री अजय कुमार, ए0डी0एम0 प्रशासन, आगरा, उ0प्र0।
10. श्री कृष्ण चन्द्रशेखर, वाईल्ड लाईफ वार्डेन, राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी, प्रोजेक्ट, इटावा, उ0प्र0।
11. श्री देवेन्द्र कुमार, तहसीलदार, कीरावली, आगरा, उ0प्र0।
12. श्री एच0एल0 चौधरी, नायब, तहसीलदार, आगरा, उ0प्र0।

2– उक्त बैठक की कार्यवाही निम्नवत हैः–

(क) सूर सरोवर पक्षी विहार के अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हे0 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के धारा–26ए के तहत अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार ही प्रगति पायी गयी। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त सुचारू रूप से कार्यवाही की जाय।

(ख) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) द्वारा अवगत कराया गया कि सूर सरोवर पक्षी विहार के अर्न्तगत सूरदास वन ब्लाक के 380.558 हे0 क्षेत्रफल को वन्यजीव विहार का क्षेत्र घोषित करने हेतु प्रस्ताव निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। सूर सरोवर पक्षी विहार के अतिरिक्त क्षेत्रफल 15.41 हे0 के प्रस्तावित क्षेत्र के विरूद्ध वास्तव में उपलब्ध 14.50 हे0 का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–18 की अधिसूचना का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा रहा है।

(कार्यवाही–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0)

(ग) सूर सरोवर पक्षी विहार में सूरदास वन ब्लाक आरक्षित वन क्षेत्रफल 380.55 हे0 एवं अतिरिक्त क्षेत्रफल 14.50 हे0 सम्मिलित होने के पश्चात सेंचुरी के क्षेत्रफल बढ़ने एवं परिणामस्वरूप Eco-Sensitive Zone (ESZ) के विस्तार में भी परिवर्तन होने की सम्भावना है। अतः इस पर आगरा जनपद के जिलाधिकारी के स्तर से विभिन्न विभागों का अभिमत प्राप्त किया जाना उचित होगा। अतः जिलाधिकारी, आगरा प्रश्नगत अतिरिक्त क्षेत्र 380.55 हे0 + 14.50 हे0 के प्रस्तावित ESZ में ESZ गाइडलाइन के अनुसार Prohibited, Permitted and Regulated Activities की दृष्टि से विकास की परियोजनाओं पर इनके प्रभाव के सम्बन्ध में समस्त संबंधित विभागों का अभिमत प्राप्त

कर प्रस्तुत करेंगे ताकि इस क्षेत्र में आने वाली विकास व अन्य परियोजनाओं के दृष्टिगत सम्बन्धित विभागों का अभिमत स्पष्ट हो सके।

(कार्यवाही–जिलाधिकारी, आगरा)

(घ) सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के पश्चात प्रस्तावित क्षेत्रफल 380.55 हे0 + 14.50 हे0 से सम्बन्धित बदलाव एवं सम्भावित परिणामी स्थिति के आधार पर ESZ गाइडलाइन के अनुसार Prohibited, Permitted and Regulated Activities के दृष्टिगत विकास की परियोजनाओं पर इनके प्रभाव के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आगरा की आख्या प्राप्त हो जाने के पश्चात् सभी विभागों की बैठक शासन स्तर पर भी आयोजित की जायेगी। उपरोक्तानुसार विचार–विमर्श के पश्चात सूरसरोवर पक्षी विहार एवं अतिरिक्त क्षेत्रों के सम्मिलित किये जाने संबंधी प्रस्ताव को शासन के माध्यम से राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर मत स्थिर किया गया।

"बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।"

Digitally Signed by मनोज सिंह
Date: 26-03-2024 19:04:42
Reason: Approved

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4
संख्या–471/81–4–2024
लखनऊ, दिनांक 26 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष/वन्यजीव, उ०प्र० लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, आगरा, उ0प्र0।
5. समस्त सम्बन्धित अधिकारी (द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0।)
6. गार्ड फाइल।

(आशीष तिवारी)
सचिव।

महत्वपूर्ण / समयबद्ध
संख्या– 554 / 81–4–2024

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
आगरा, उ0प्र0।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 28 मार्च, 2024

विषय– सूरसरोवर पक्षी विहार से सम्बन्धित अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० एन०जी०टी० में योजित वाद ओ०ए० सं० 529/2023 में दाखिल शपथ पत्र दिनांक 28.11. 2023 में विहित टाइमलाइन का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में वन मुख्यालय, लखनऊ स्थित 'पारिजात सभाकक्ष' में दिनांक 04.03.2024 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या–471/81–4–2024 दिनांक 26.03.2024 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें

2–अतः इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में उपरोक्त कार्यवृत्त दिनांक 26.03.2024 में की गयी अपेक्षानुसार समस्त वांछित अभिलेख शासन को तत्काल 02 कार्यदिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

Digitally Signed by दिनेश कुमार सिंह
Date: 28-03-2024 12:52:44
Reason: Approved

भवदीय

(दिनेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया जिलाधिकारी, आगरा से सम्पर्क स्थापित कर तत्काल कार्यवाही कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

आज्ञा से
दिनेश कुमार सिंह
अनु सचिव

NV-4 pdf

महत्वपूर्ण/अनुस्मारक
संख्या-630/81-4-2024

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
आगरा, उ०प्र० ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 19 अप्रैल, 2024

विषय- सूरसरोवर पक्षी विहार से सम्बन्धित अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-554/81-4-2024 दिनांक 28.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा० एन०जी०टी० में योजित वाद ओ०ए० सं० 529/2023 में दाखिल शपथ पत्र दिनांक 28.11. 2023 में विहित टाइमलाइन का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04.03.2024 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या-471/81-4-2024 दिनांक 26.03.2024 में की गयी अपेक्षानुसार समस्त वांछित अभिलेख शासन को तत्काल 02 कार्यदिवस में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी।

2- अवगत कराना है कि आपके पत्र दिनांक 11.03.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिसूचना सम्बन्धी प्रस्ताव में शासन के उक्त कार्यवृत्त दिनांक 26.03.2024 के बिन्दु संख्या-2(ग) द्वारा वांछित अभिलेख शासन को उपलब्ध नही कराये गये है। इससे प्रकरण में समुचित कार्यवाही/यथोचित निर्णय लिए जाने में कठिनाई है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह अनुस्मृत कराने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में उक्त पत्र दिनांक 28.03.2024 में की गयी अपेक्षानुसार समस्त वांछित अभिलेख शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

Digitally Signed by आशीष तिवारी
Date: 18-04-2024 10:59:33
Reason: Approved

भवदीय
(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ०प्र० को उनके पत्र संख्या-2987/10-1 (कोर्ट केस) दिनांक 15.04.2024 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रकरण में

निर्णय/अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, आगरा से सम्पर्क स्थापित कर यथोचित विवरण प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

आज्ञा से
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव